भारत सरकार / Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

डाकघर/PO: केट/CAT इंदौर/Indore – 452 013

संदर्भ: 14/05/2020-सामा/ २५ ७५ Ref. No. 14/05/2020-GAC/34 ७६

सितम्बर 7, 2020 September 7, 2020

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: नवीन कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के क्रम में बचाव उपाय Sub: Preventive measures to contain spread of Novel Corona virus (COVID-19)

आरआरकेट द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.07.2020 क्रमांक 14/05/2020-GAC/1044 के संदर्भ में तथा जिला कलेक्टर, इन्दौर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.09.2020 क्रमांक/3271/री.ए.डी.ए/2020 के अनुरूप आरआरकेट के कर्मचारियों को एतद द्वारा कार्यालय में निम्नान्सार उपस्थित होने के निर्देश दिए जाते हैं :-

This refers to RRCAT circular No. 14/05/2020-GAC/1044 dated 23.07.2020 and in consonance with order No. 3271/री.ए.डी.ए./2020 dated 04.09.2020 issued by District Collector, Indore, the employees of RRCAT are hereby instructed to attend office as mentioned below:

1. आरआरकेट के सभी कर्मचारी उन कर्मचारियों को छोड़कर जो स्थानिय अधिकारी द्वारा घोषित कन्टेंनमेंट झोन में निवास कर रहे हों, तत्काल प्रभाव से सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

With immediate effect all the officials of RRCAT will attend office on all working days except the employees who are residing in containment zone as declared by local authority.

2. कार्यालय आने वाले कर्मचारी निम्नलिखित तीन शिफ्टों का पालन करेंगे :-Employees shall observe staggered timing in following three shifts:

> General Shift 1 : 08:30 - 1700 hrs; General Shift 2 : 09:00 - 1730 hrs & General Shift 3 : 09:30 - 1800 hrs.

3. कर्मचारियों के लिए शिफ्ट, संबंधित वर्ग निदेशकों तथा प्रकार्यात्मक प्रमुखों द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में उनके कुल संबंधित कर्मचारियों के एक तिहाई उपस्थिति के रूप में आबंटित की जाएगी, जिससे कॉलोनी गेट व गार्ड हाउस पर भीड़ एकत्र ना हो एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके । The shifts for the employees will be allotted by respective Group Directors and functional Heads in one third manner of their staff strength in each shift so as to avoid crowding and ensure social distancing at colony gate and guard house.

- 4. सभी कर्मचारियों को गृह मंत्रालय एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली कोविड-19 संबंधित उपायों और दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
 All employees are required to follow COVID-19 related precautions and guidelines issued from time to time by Ministry of Home Affairs and local administration.
- 5. अगला आदेश जारी होने तक उपरोक्त निर्देश लागू रहेंगे। Above directions will be in force until further orders.

यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Director, RRCAT, Indore.

> (एस.एस.गोंडाणे/S.S.Gondane) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer

सभी समूह निदेशक/All Group Directors, सभी सह निदेशक/All Associate Directors, सभी प्रमुख, प्रभाग/अनुभाग/प्रयोगशाला, आरआरकेट/ All Division Heads/Section Heads/Lab Heads, RRCAT मेलऑल/Mail All

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1. संयुक्त सचिव (प्रशा एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग/JS(A&A), DAE
- 2. संयुक्त सचिव (आर एण्ड डी), परमाणु ऊर्जा विभाग/JS(R&D), DAE
- 3. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट/Office of Director, RRCAT
- 4. क्षेत्रीय निदेशक (क्रय व भंडार), आरआरकेट/Regional Director (P&S), RRCAT
- 5. उप लेखा नियंत्रक, आरआरकेट/Dy. Controller of Accounts, RRCAT
- 6. उप कमाडेंट, सीआईएसएफ,आरआरकेट/ Dy. Commandant, CISF, RRCAT
- 7. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट/Dy. Chief Security Officer, RRCAT
- 8. प्रभारी, चिकित्सा केन्द्र, आरआरकेट/In-Charge, Medical Centre, RRCAT
- 9. जिला न्यायाधीश एवं कलेक्टर, इन्दौर/Dist.Magistrate and Collector, Indore